उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-137/2023/3497/तीस-3-2023
लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री विनय कुमार, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), द्वितीय दल, चन्दौली सम्प्रति निलम्बित, सम्बद्ध मुख्यालय के विरूद्ध सरकारी कार्यो के निर्वहन में भ्रष्टाचार में संलिप्तता, शिथिल नियंत्रण तथा शासकीय कार्यो के प्रति घोर लापरवाही बरतने आदि की अनियमितताओं के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-60/तीस-3-2023, दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा निलम्बित करते हुए, कार्यालय ज्ञाप संख्या-344/तीस-3-2023, दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संपादनार्थ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-703/तीस-3-2023, दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार, उप परिवहन आयुक्त को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री विनय कुमार, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), द्वितीय दल, चन्दौली सम्प्रति निलम्बित, सम्बद्ध मुख्यालय के उक्त निलम्बन आदेश को एतदद्वारा समाप्त करते हुए, उन्हें सेवा में बहाल कर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) महराजगंज के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

श्री विनय कुमार के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-3497(1)/तीस-3-2023, तददिनांक</u>
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(2) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी।
(5) संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), गोरखपुर।
(6) संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
(7) संबंधित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नव तैनाती पद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in